



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19062026-273592
CG-DL-E-19062026-273592

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड(ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3085]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 18, 2026/ज्येष्ठ 28, 1948

No. 3085]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2026/JYAISTHA 28, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2026

का.आ. 3207(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, राजस्थान राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -248A (शाहपुरा थानागाजी अलवर नुह) में कि.मी. 86/00 पर स्थित कट्टी घाटी (अलवर) पर स्थित टी- जंक्शन का विकास / उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-248A पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	उपखण्ड अधिकारी अलवर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH248A के कि.मी 86 से कि.मी 87 तक	राजस्थान	अलवर	अलवर	1 भाखेडा 2 भूगोर

[फा.सं. RW/JAI/RJ/CE-RO/NH-12012/2026/01]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2026

S.O. 3207(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for Deveolpment of T-Junction at Kati Ghati (Alwar) at Km. 86/00 (Shahpura- Thanagazi- Alwar- Nuh) on NH248A in the State of RAJASTHAN.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. 248A in the State of RAJASTHAN

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	SDM Alwar	NH248A KM 86 TO KM 87	RAJASTHAN	ALWAR	Alwar	1 Bhakheda 2 Bhoogor

[F. No. RW/JAI/RJ/CE-RO/NH-12012/2026/01]

SHAIKH AMINKHAN, Director